संख्या–2731/9–आ–3–99–23 विविध–99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
4. अध्यक्ष,
समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।

आवास अनुभाग – 3 लखनऊः दिनाँक– 09 जुलाई, 1999

विषयः शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–2085/9–आ–3–99–23 विविध/99, दिनांक 28–5–1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली विभिन्न आवासीय योजनाओं में कुल अमुमानित व्यय का कम से कम 1ः (एक प्रतिशत) वृक्षारोपण/हरित पट्टिका विकसित करने हेतु व्यय किया जायेगा। यह व्यय परियोजना पर किया गया व्यय माना जायेगा। इसे बाह्य विकास या आंतरिक विकास जैसी भी स्थिति हो, मानते हुये परियोजना लागत का भाग होने के कारण सृजित की जा रही सम्पत्तियों के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जायेगा। यदि किसी हरित पट्टिका/वृक्षारोपण का लाभ पूरी योजना को मिलता है तो उसे ट्रंक बाह्य विकास मानते हुये भूमि दर हेतु सम्मिलित किया जायेगा। यदि लाभ एक क्षेत्र/सेक्टर विशेष में सीमित है तो उस क्षेत्र की सम्पत्तियों के मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा।

2– कृपया तद्नुसार उक्त उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। अब प्रारम्भ की जाने वाली किसी भी योजना/भवन निर्माण योजना/भूखण्ड विकास योजना में तद्नुसार प्राविधान सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या – 2731(1)/9–आ–3–99 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
5. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से

जावेद एहतेशाम
अनु सचिव

संख्या–3175 / 9–आ–3–2001–23 विविध / 99

प्रेषक,

श्री पी0 एल0 पुनिया,
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
आवास एवं नगर विकास,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अध्यक्ष,
समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।

आवास अनुभाग – 3 लखनऊः दिनाँक–18 जुलाई, 2001

विषयः प्रदेश के नगरों को प्रदूषण मुक्त करने, पर्यावरण सुधार एवं नगरों को हरित एवं सुन्दर बनाने के उद्देश्य से सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित होने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनाच्छादित होना आवश्यक बताया गया है, तद्नुसार प्रदेश सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के 33 प्रतिशत भूभाग को वनाच्छादित किया जाये। उत्तरांचल राज्य के निर्माण के पश्चात वर्तमान में प्रदेश में मात्र 7.04 भू–भाग ही वन क्षेत्र है एवं इस पर वृक्षारोपण मात्र 4.46 प्रतिशत ही है। इस अत्यधिक न्यून वनावरण को 33 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने हेतु उपलब्ध भूमि पर बड़े पैमाने पर सघन वृक्षारोपण करने हेतु ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। प्रथम चरण में यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व में समस्त जनपदों में 01 जुलाई, 2001 से 31 अगस्त, 2001 तक की अवधि के लिए चलाया जा रहा है। जुलाई माह में ही किन्हीं दो दिवसों को चिन्हित कर वृक्षारोपण किया जाना है।

पूर्व में शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद की भूमि में वृक्षारोपण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2085 / 9–आ–3–99–23 विविध / 99, दिनांक 28 मई, 1999 एवं शासनादेश संख्या–2721 / 9–आ–3–99–23 विविध / 99 दिनांक 9 जुलाई, 1999 द्वारा मानक निर्धारित करते हुये समस्त विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद को वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी अनुक्रम में हरित पट्टी उत्तर प्रदेश बनाने विषयक परती भूमि विकास अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित नवीनतम शासनादेश संख्या–973 / 14–प0भू0वि0 / 2001 दिनांक 8 जून, 2001 (प्रति संलग्न) के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरित उत्तर प्रदेश

बनाने के लिए ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(1) समस्त अभिकरण, वृहद वृक्षारोपण की एक योजना बनायेंगे उक्त कार्य में निजी प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न क्लबों आदि का भी इस पुनीत कार्य में सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाये।

(2) प्रत्येक अभिकरण यथासंभव अपने द्वारा संचालित/पोषित पार्कों में से एक पार्क को ''स्मृति पार्क'' के रूप में परिवर्तित करें तथा स्थानीय नागरिकों को प्रोत्साहित करें कि इस प्रकार के पार्क में वह अपने प्रियजनों को यादगार बनाये रखने के उद्देश्य से वृक्षों की स्थापना/पोषण करेंगें।

(3) प्रत्येक अभिकरण उपलब्ध भूमि से किसी उपयुक्त भूखण्ड पर एक नगरीय वन भी विकसित करेंगे।

(4) प्रत्येक अभिकरण अपने वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत वृक्षारोपण, वन संरक्षण की मद में प्राविधानित करेंगे।

(5) इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वन विभाग से संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करके कार्यवाही करेंगे।

(6) वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की उपलब्धता वन विभाग की पौधशालाओं से सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी का भी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

(7) पर्यावरण संरक्षण एवं नगरीय वनीकरण हेतु नियमों/अधिनियमों में जिन–जिन संशोधनों की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, उनके संबंध में आवश्यक प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाये।

(8) वृक्षारोपण के पश्चात उसके रख–रखाव, सिंचाई आदि के दायित्व सम्यक् रूप से निर्धारित कर दिया जाये तथा इसका नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(9) अभिकरणों की अतिकृमित भूमि/भूखण्ड से अवैध कब्जे हटाकर आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण का कार्य कराया जाये।

(10) भविष्य की दूरगामी योजनाओं की दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण इस तरह किया जाये कि आने वाले दशकों में यह अभिकरण के लिए आय का एक साधन भी बन सके।

(11) पर्यावरण संरक्षण/संवर्धन की दृष्टि से वृक्षारोपण के महत्व को स्थापित करने के लिए जन चेतना बनाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाये।

3– उपरोक्त कार्यवाही के प्ररिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा सघन वृक्षारोपण अभियान हेतु लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किये गये है :–

क्र0सं0 अभिकरण का नाम वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1 2 3

1. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 5 लाख
2. कानपुर विकास प्राधिकरण 1 लाख 35 हजार
3. लखनऊ विकास प्राधिकरण तदैव
4. इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
5. मेरठ विकास प्राधिकरण 1 लाख 35 हजार
6. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
7. वाराणसी विकास प्राधिकरण 1 लाख 25 हजार
8. गोरखपुर विकास प्राधिकरण तदैव
9. बरेली विकास प्राधिकरण तदैव
10. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
11. आगरा विकास प्राधिकरण तदैव
12. सहारनपुर विकास प्राधिकरण 1 लाख 1 2 3
13. अलीगढ़ विकास प्राधिकरण तदैव

14. झांसी विकास प्राधिकरण 60 हजार
15. मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण तदैव
16. बांदा विकास प्राधिकरण तदैव
17. अयोध्या–फैजाबाद विकास प्राधिकरण 35 हजार
18. बुलन्दशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण तदैव
19. उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण तदैव
20. फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण तदैव
21. रायबरेली विकास प्राधिकरण तदैव
22. हापुड़–पिलखुआ विकास प्राधिकरण तदैव
23. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण तदैव
24. मिर्जापुर – विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तदैव
25. चित्रकुट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तदैव

कृपया उपरोक्तानसुार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सघन अभियान चलाकर वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासन द्वारा पैरा–2 में निर्धारित सामान्य मार्गदर्शक बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रत्येक अभिकरण अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप मार्गदर्शक सिद्धान्त स्वयं निर्मित कर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है परन्तु मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सघन वृक्षारोपण अभियान चलाकर पूर्ण किया जाये। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के अनुपालन हेतु समस्त अभिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य के अनुश्रवण के लिए शासन स्तर से भी अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीम को क्षेत्रीय भ्रमण एवं तद्विषयक निरीक्षण के लिए अलग से नामित किये जाने की कार्यवाही की जा रही हैं कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

पी0 एल0 पुनिया
आयुक्त एवं प्रमुख सचिव

संख्या – 3175/9–आ–3–2001–23 विविध/99 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया विभागीय अधिकारियों को इस बृहद वृक्षारोपण अभियान में यथोचित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें
2. मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, आवास विभाग के निजी सचिव।
3. आवास विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–2085 / 9–आ–3–99–23 विविध–99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अध्यक्ष,
समस्त नियंत्रक प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।

आवास अनुभाग – 3 लखनऊः दिनाँक–20 मई, 1999

विषय : शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के सम्बन्ध में राज्य वन नीति 1998 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा घोषित राज्य वन नीति 1998 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में हरित पट्टिका विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के बिल्डरों तथा औद्योगिक ले–आउट तथा इकाइयों आदि की भूमि में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित करने हेतु उनके द्वारा विकसित कालोनियों में निम्न कार्यवाही की जायेगी :–

(क) मार्गों के साथ–साथ 9–0 मीटर तथा इसे अधिक परन्तु 12–00 मीटर से कम चौड़ी सड़के के एक ओर तथा 12–00 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाना होगा जो कि सड़क के प्रति 10 मीटर लम्बाई में न्यूनतम एक पेड़ से कम नहीं होगा अर्थात पेड़ों के मध्य दूरी 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिक चौड़ाई की सड़कों में डिवाइडर, फुटपाथ एवं ''ब्लैक टॉप'' के अलावा खाली छोड़ी जा रही समस्त भूमि पर भी वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। बाद में सड़क चौड़ी किये जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार चौड़ा किये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(ख) आवासीय भूखण्डों में 1– (ए) 200 वर्ग मी0 से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड में एक पेड़।

(II) 200 से 300 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड में दो पेड़।

(III) 300 से 500 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूखण्ड में चार पेड़।

2– समूह आवासीय योजना में प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे। भवन मानचित्र के साथ लैण्ड स्केपिंग प्रस्ताव का अनुमोदन भी आवश्यक होगा।

3– आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, मलिन बस्ती सुधार आदि योजना में प्रति 50 परिवार पर न्यूनतम 100 वर्ग0मी0 क्षेत्रफल के स्थल पर समूह के रूप में पेड़ लगाये जायेंगे।

(ग) औद्योगिक (ए) प्रति 80 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

(II) औद्योगिक विकास योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल का 20 प्रतिशत भाग में प्रति हेक्टेयर 125 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
(III) बड़े प्रदूषणकारी उद्योग को आवासीय क्षेत्र में सघन ग्रीन बेल्ट द्वारा पृथक किया जाना होगा जो औद्योगिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।
(IV) औद्योगिक विन्यास मानचित्र के साथ लैण्ड स्केप प्रस्ताव का अनुमोदन आवश्यक होगा।
(घ) व्यवसायिक (I) प्रति 100 वर्ग मी0 भूखण्ड क्षेत्रफल पर एक पेड़।
(II) वाणिज्यिक योजना में कुल अनुमन्य खुले स्थल का न्यूनतम 20 प्रतिशत पर ग्रीनरी होगा, जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 पेड़ के दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
(च) संस्थागत/सामुदायिक कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी जहाँ प्रति हेक्टर 125 पेड़ की दर
सुविधायें से पेड़ लगाये जायेंगे।
(छ) कीड़ास्थल/खुले क्षेत्र ऐसे सभी स्थलों का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग ग्रीनरी होगा जहाँ प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।
(ज) पार्क प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 125 पेड़ की दर से पेड़ लगाये जायेंगे।

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की विकास योजनाओं में वृक्षारोपण अनिवार्य किये जाने के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सभी सक्षम प्राधिकारी मानचित्र स्वीकृति से पूर्व उपरोक्त प्राविधानों को सुनिश्चित करेंगे तथा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व वृक्षारोपण भी सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 2085(1)/9–आ–3–99 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0।
5. अतिरिक्त निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

जावेद एहतेशाम
अनु सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या–973 / 14–प0भू0वि0 / 2001

प्रेषक,

भोला नाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

परती भूमि विकास अनुभाग — लखनऊः दिनाँक–08 जून, 2001

विषय : हरित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाया जाना।

महोदय,

आप भली भांति अवगत हैं कि प्रदेश में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने, वातावरण को दूषित हेने से बचाने, मृदा एवं जल संरक्षण सुनिश्चित करने तथा वृक्षों एवं वनों से लाभ प्राप्त करने के लिए वृक्षाच्छादन किया जाना आवश्यक है। आप इस बात से भी अवगत हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह परिकल्पित है कि भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनाच्छादित / वृक्षाच्छादित होना चाहिए जिससे वनोधारित प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ सतत् रूप से प्राप्त होते रहें। इस सिद्धान्त को शत–प्रतिशत राज्य वननीति 1998 में अंगीकृत किया गया है। अर्थात् प्रदेश सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के 33 प्रतिशत भूभाग को वनाच्छादित / वृक्षाच्छादित किया जाना है। यह लक्ष्य प्रदेश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि पुर्नगठन के पश्चात वर्तमान में प्रदेश में मात्र 7.04 प्रतिशत भूभाग ही वन क्षेत्र है एवं इस पर वृक्षावरण मात्र 4.46 प्रतिशत ही है। इस अत्याधिक न्यनू वनावरण को 33 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने में आप सबका योगदान अति आवश्यक है। इसके लिए वन भूमि के बाहर हर प्रकार की उपलब्ध कृष्य / अकृष्ण भूमि यथा परती भूमि, ऊसर, बीहड़, खादर तथा अन्य प्रकार की परती भूमि, विभिन्न राजकीय एवं गैर राजकीय संस्थानों के परिसर में उपलब्ध भूमि पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाये। यह भी आवश्यक है कि जब तक वृक्षारोपण को समस्त राजकीय विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं, विद्यालयों, भवनालय, औद्यागिक प्रतिष्ठानों आदि द्वारा अभियान के रूप में न लिया जाये तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

(अ) रणनीति

उपरोक्त परिदृश्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिस प्रकार पोलियो उन्मूलन के लिए प्रदेश स्तर पर सघन पल्स पोलिया महाअभियान चलाये जा रहे हैं उसी प्रकार ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान चलाकर वर्ष 2001 वर्षाकाल में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कार्य किया जाये तथा इसके प्रति जनता में व्यापक जागरूकता उत्पन्न की जाये इस कार्यक्रम को अब प्रति वर्ष महाअभियान के रूप में चलाया जायेगा।

(ब) प्रारम्भिक तैयारी

1. पौधों की व्यवस्था –

''आपरेशन ग्रीन'' के अन्तर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए जनपद में पौध व्यवस्था हेतु विभिन्न पौधशालाओं को चिन्हित कर लिया जाये एवं इनमें (जैसे वन विभाग, उद्यान विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, प्राईवेट नर्सरियों आदि) उपलब्ध पौधों की सूचना प्रजातिवार एकत्र कर ली जाये।

2. कार्यकारी विभाग / संस्थायें –

ऐसे समस्त विभागों एवं संस्थाओं को चिन्हित कर लिया जाये जिनसे वृक्षारोपण में सक्रिय योगदान लिया जा सकता हो। निम्न उद्धरित संस्थाओं के अतिरिक्त यदि कोई और संस्थान जनपद में स्थित हो तो उनका भी योगदान प्राप्त किया जाये।

I राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम/अर्द्ध सरकारी

उद्यान विभाग, जिला विकास विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग, जिला बचत विभाग, विकास प्राधिकरण विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, जिला पंचायती राज्य विभाग, जिला परिषद।

II केन्द्रीय सरकार के विभाग/उपक्रम/अर्द्धसरकारी

पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक, रक्षा विभाग, बीमा क्षेत्रीय कम्पनियां, आयकर विभाग, सीमा उत्पाद विभाग, रेलवे।

III स्वयं सेवी संस्थायें, शिक्षण संस्थान

विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, नेहरू युवक केन्द्र एन0सी0सी0, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, आई0टी0आई0, पालीटेकनिक।

IV अन्य तीर्थ स्थल, मंदिर, धार्मिक परिसर आदि।

3. लक्ष्य आवंटन –

विगत वर्षों में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित वृहद वृक्षारोपण समिति द्वारा जनपद के विभिन्न विभागों को लक्ष्य आवंटित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष ''आपरेशन ग्रीन'' के अन्तर्गत गैर सरकारी एवं निजी संस्थाओं को भी लक्ष्य आवंटित किये जाये।

4. संसाधन व्यवस्था –

वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रयुक्तत की जाने वाले संसाधनों यथा–ट्रैक्टर, ट्राली, मेटाडोर, ट्रक, कैम्पलारी आदि की व्यवस्था पूर्व में ही सुनिश्चित कर ली जाये।

5. स्थल चिन्हीकरण –

जनपद में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि (विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों के परिसर जैसे कलेक्ट्रेट, न्यायालय, तहसील, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, थाना, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालंज, मेडिकल कालेज, कैंट एरिया, औद्योगिक संस्थान अन्य सार्वजनिक भूमि इत्यादि) का चिन्हीकरण कर लिया जाये तथा इन क्षेत्रों में रोपित की जाने वाली उपयुक्त प्रजातियों का भी चयन कर लिया जाये।

6. नगर वनीकरण –

प्रदेश के बड़े औद्योगिक शहरों यथा कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा आदि में औद्योगिक इकाइयां राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों तथा आवासीय कालोनियों के अंदर तथा बाहर उपलब्ध भूमि का चयन कर प्रभावशाली रूप से वृक्षारोपण किया जाये। ऐसी इकाइयाँ जहाँ प्रदूषण की संभावना अधिक हो वहाँ वृक्षारोपण पर विशेष बल दिया जाये इस क्रम में उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्रों में हरित पट्टिका विकसित किए जाने के संबंध में औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं0 3094 (2)–4–99–547 भा/99 दिनांक 19–01–1999 द्वारा सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक भूखंड विकसित करते समय विकसित भूखण्ड का 20 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण/हरित पट्टिका के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। आवास विभाग द्वारा भी शासनादेश सं0 2085/9–अ–3–99–23 वि/99 दिनांक 20–05–99 द्वारा शहरी क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, निजी क्षेत्र के बिल्डरों तथा औद्योगिक से ले–आउट तथा ईकाइयों आदि की भूमि में 20 प्रतिशत हरित पट्टिका विकसित करने के निर्दश दिये गये हैं। राजस्व विभाग द्वारा भी वृक्षारोपण पट्टे द्वारा हरियाली कार्यक्रम का क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश सं0 793/1–2–99–0–3 (आठ)/99 दिनांक 19–07–1999 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

7. जनप्रतिनिधियों की सहभागिता –

वृक्षारोपण का शुभारंभ एक महोत्सव के रूप में माननीय जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। इस अवसर पर मा0 मंत्री, मा0 जिला प्रभारी मंत्री, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 नगर पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को अवश्य आमंत्रित किया जाये। जनपद के प्रभारी मंत्री से विशेष रूप से अनुरोध कर लिया जाये कि ''आपरेशन ग्रीन'' अभियान दिवस'' पर वे जनपद में उपस्थित रह कर अपना अमूल्य निदेशन देने की कृपा करें।

8. प्रचार प्रसार –

वृक्षारोपण अभियान का वृहत प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों जैसे डुग्गी, मुनादी कराकर, गोष्ठियों द्वारा तथा पैम्पलेट्स बंटवाकर, समाचार पत्र, रेडियो, टी0वी0, दीवार लेखन आदि की सहायता से किया जाये।

9. नोडल अधिकारी –

व्यापक स्तर पर इस अभियान के सफल आयोजन हेतु जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये जिस जनपद में एक से अधिक प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक तैनात हैं वहाँ वरिष्ठ वनाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

10. उपरोक्त समस्त तैयारियाँ 15 जून तक पूरी कर ली जाये।

(स) आपरेश ग्रीन

1. अभियान अवधि/दिवस

वृक्षारोपण कार्यक्रम का यह अभियान 01 जुलाई से 31 अगस्त, तक की अवधि के लिए होगा। सर्वप्रथम कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु 01 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य किन्ही दो दिवस को अभियान दिवस के रूप में चिन्हित कर लिया जाए। यदि किन्हीं कारण से (जैसे बरसात आदि समय से न हो) किसी जनपद में यह दिवस उक्त अवधि में चिन्हित करना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अन्य दो दिवस चिन्हित कर सकते हैं।

2. रैली/संगोष्ठी

जनपद स्तर पर अभियान दिवस के एक दिन पूर्व पर्यावरण रैली का आयोजन प्रातः काल किया जाये एवं इसका समापन गोष्ठी का समापन वृक्षारोपण से किया जाये।

3. मृदा कार्य एवं पौध ढलान

अभियान दिवस के ठीक पूर्व वृक्षारोपण क्षेत्रों में गड्ढा खुदान कर लिया जाये तथा इंगित नर्सरियों से पौधों का ढुलान भी सुरक्षित एवं छायादार स्थान पर कर लिया जाये।

4. आमंत्रण/सूचना

अभियान दिवस के पूर्व संबंधित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण/सूचना अवश्य दे दी जाये।

5. पौधारोपण

प्रथम पौध जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाकर पौधारोपण का कार्य प्रारम्भ कराया जाये। शेष पौधे अभियान में शामिल स्थानीय नागरिकों स्कूल के छात्रों, कार्यालय कर्मचारियों, कैडेट्स स्काऊट एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगाये जायें।

6. अनुश्रवण

अभियान के सफल आयोजन को सूचना जिलाधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी से प्राप्त कर अगले दिन सचिव वन को दिया जायेगा।

7. अनुरक्षण

वृक्षारोपण के उपरांत इसका अनुरक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित भू–स्वामी/विभाग/संस्था का होगा। अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(द) अभियान हेतु वित्तीय संसाधन

भूमि उपयोग करने वाले सम्बन्धित विभाग यथा वन, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, लोक निर्माण, ऊर्जा, सिंचाई, खनन, उद्यान, मत्सय पालन, आवास विभाग तथा भूमि संरक्षण अपने–अपने विभागीय बजट से अभियान को सफल बनायेंगे। इस क्रम में विभिन्न विभागों द्वारा निम्न शासनादेश भी निर्गत किये जा चुके हैं जिसमें उनके आयोजनागत बजट से कम से कम एक प्रतिशत धनराशि भूमि एवं जन

संरक्षण, वाटरशेड डेवलेपमेन्ट एवं वृक्षारोपण कार्य हेतु लगाये जाने का प्राविधान राज्य वन नीति 1998 के अनुरूप किया गया है।

I लोकनिर्माण 2212/23–2–98–8/99 दिनांक 22–07–1999
II सिंचाई 897(एवी)/99–27–सि0–9–10–एस0ए0बी0 दिनांक 22–07–1999
III औद्योगिक विकास 3094/77–4–99–8–547 भा/99 दिनांक 19–07–1999
IV आवास 2731/9–आ–3–99–25 विविध/99 दिनांक 09–07–1999
V ऊर्जा 1809 बी 1/99–24–39–पी/99 दिनांक 11–06–1999
VI उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 1380/58–2–99–80/99 दिनांक 15–06–1999
V कृषि 3079/12–3–99–71/99 दिनांक 31–08–1999

तद्नुसार ही ''आपरेशन ग्रीन'' को सफल बनाये जाने के लिए वित्तीय संसाधन का उपयोग किया जाये।

इस अभियान हेतु संसाधन व्यवस्था में सांसद/विधायक निधि से भी धनराशि प्राप्त करने हेतु माननीय सांसदों एवं विधायकों से अनुरोध किया जाये। ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र प्रमुख को यह दायित्व दिया जाये कि विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग वे भी अपने–अपने ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की सीमा में वृक्षारोपण के लिए करें। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जिला येाजना के अन्तर्गत पर्यावरण जागरूकता हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का उपयोग इस कार्यक्रम हेतु भी किया जाये।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह अभियान पूर्ण रूप से सफल होगा।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या – 975/14–प0भू0वि0/2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय, मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वन संरक्षक, उत्तर प्रदेशं।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों/निदेशक, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जिलाधिकारी को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। विभागीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सशुल्क पौध भी विभिन्न यावक श्रोतों को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

भोला नाथ तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या–5206 / 9–आ–1–2000–339डीए / 83

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
आगरा मण्डल,
आगरा।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–04 दिसम्बर, 2000

विषय : आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारकों के भ्रमणार्थियों से धारा 39–क अन्तर्गत वसूले जाने वाले पथकर के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पथकर निधि का उपयोग भ्रमणार्थियों की सुख–सुविधा के लिए तथा उस हेतु आवश्यक अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से शासन ने सम्यक विचारोपरान्त मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने तथा इस निधि से कार्यों की स्वीकृति हेतु गठित सलाहकार समिति को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया है :–

(अ) सलाहकार समिति :– पथकर निधि से विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु सहायता एवं सलाह देने हेतु मण्डलायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति पुर्नगठित की जाती है :–

1. आयुक्त, मण्डलायुक्त, आगरा – अध्यक्ष
2. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अथवा – सदस्य
   उनका नामित प्रतिनिधि
3. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश – सदस्य
4. जिलाधिकारी, आगरा – सदस्य
5. मुख्य नगर अधिकारी, आगरा – सदस्य
6. इन्टेक के प्रतिनिधि – सदस्य

7 व 8 आगरा में पर्यटन, होटल उद्योग से सम्बन्धित दो – सदस्यगण
व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे

9. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा – सदस्य संयोजक

(ब) कार्यों के चयन हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त :– पथकर निधि का व्यय केवल निम्नलिखित मदों में किया जा सकेगा :–

I(क) वसूली से सम्बन्धित व्यवस्था एवं कर्मचारियों पर व्यय 2 प्रतिशक तक

(ख) भारित व्यय जिनमें न्यायालय के आदेशों अथवा पथकर सम्बन्धी न्यायिक वादों पर होने वाला आवश्यक व्यय सम्मिलित होगा।

II उपरोक्त व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि को निम्नलिखित मदों में निर्धारित अनुपात में व्यय किया जायेगा।

क– पर्यावरण सुधार सम्बन्धी कार्य, यथा सफाई, 20 प्रतिशत
सेनिटेशन, हरियाली, स्लम सुधार एवं पुर्नवास

ख– भ्रमणार्थियों की सुख–सुविधाएं 15 प्रतिशत
ग– पर्यटकों के उपयोग में आने वाला नगरीय 40 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा मार्ग प्रकाश, ड्रेनेज इत्यादि
घ– पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धी 15 प्रतिशत
ङ– टूरिस्ट पुलिस एवं पर्यटक सुरक्षा सम्बन्धी 10 प्रतिशत
क्रियान्वित किये जाने वाले पत्येक कार्य/परियोजना पर अधिकतम 10 प्रतिशत सेन्टेज चार्ज सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को दिया जायेगा। प्रत्येक चयनित कार्य का आंगणन का परीक्षण समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।
III लेखों का रख–रखाव तथा वार्षिक रिपोर्ट
क– पथकर निधि से किए जाने वाले कार्य स्थल पर नगरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर टास्क फोर्स का बोर्ड लगेगा जिसमें कार्य इत्यादि का पूरा ब्यौरा उल्लिखित होगा।
ख– प्रत्येक 31 मार्च तथा 30 सितम्बर को उस वित्तीय वर्ष में प्राप्तियों की स्थिति तथा किये गये कार्यों व व्यय की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जायेगी जो शासन, प्रत्येक सदस्य तथा प्रेस को उपलब्ध कराई जायेगी। मांगे जाने पर अन्य को भी उपलब्ध करायी जा सकती है।
ग– पथकर निधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों का आडिट चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आगामी 30 जून तक अवश्य करा लिया जायेगा तथा आडिट रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त 30 सितम्बर तक शासन को भी प्रस्तुत की जायेगी। इससे पूर्व प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष भी इसे प्रस्तुत किया जायेगा।
घ– चार्टेड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति शासन द्वारा की जायेगी यह चार्टेड एकाउन्टेन्ट ''कान्करेन्ट'' आडिट भी करेंगे तथा सलाहकार समिति की प्रत्येक बैठक में भी उपस्थित रहकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।
ड़– प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में पथकर निधि के अन्तिम लेखें तैयार किये जायेंगे तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में आय–व्यय विवरणी एवं बैलेन्स शीट भी बनाई जायेगी।
च– चार्टेड एकाउन्टेन्ट पर होने वाला व्यय इसी निधि द्वारा भारित व्यय के रूप में व्यय किया जायेगा।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 5206(1)/9–आ–1–2000–339 डीए/83 दिनांक 04 दिसम्बर, 2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. महानिदेशक, पर्यटन।
4. जिलाधिकारी, आगरा।
5. मुख्य नगर अधिकारी, आगरा।
6. इन्टेक, लखनऊ।

आज्ञा से

आनन्द कुमार
अनु सचिव

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन.पी. 890लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0–41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेटक्रम–संख्या–613(ग)
सरकारी गजट, उत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारणविधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)(परिनियत आदेश)
लखनऊ, सोमवार, 4 दिसम्बर, 2000अग्रहायण 13, 1922 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकारआवास अनुभाग–1
संख्या 5191/आ–1.2000.339 डीए–83लखनऊ 4 दिसम्बर, 2000
अधिसूचना प0आ0–1460

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 39–क और धारा–55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2000

1–(1)–यह नियमावली आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) (प्रथम संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायगी।

(2)– यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– आगरा विकास प्राधिकरण पथकर (निर्धारण और संग्रह) नियमावली, 1999 में, नियम 4 का संशोधन 4 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात :–

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 4 दिसम्बर, 2000

स्तम्भ–1

वर्तमान उपनियम

(1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिए प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ (4) में विर्निदिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा :–

अनुसूची परिदर्शकों की श्रेणी लोकप्रिय समागम के नाम अवधि जिसके लिए पथकर पथकर की दर लिया जायगा (रुपये में) 1 2 3 4

1. विदेशी ताजमहल और अन्य लोकप्रिय पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर) 500 समागन के स्थान

** ताजमहल और अन्य लोकप्रिय रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रातः तक 1000 समागम के स्थान

** किला पूरे दिन 50

** ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य पूरे दिन 10 स्मारक

2. भारतीय ताजमहल और अन्य लोकप्रिय स्मारक 6.00 प्रातः से 8.00 या 4.30 सांय 100 समागम के स्थान से 7.30 सांय तक

** ताजमहल 8.00 प्रातः से 4.30 सांय तक 10

** ताजमहल और अन्य लोकप्रिय रात्रि 7.30 सायं से 6.00 प्रातः तक 200 समागम के स्थान

** ताजमहल/किला को छोड़कर अन्य पूरे दिन 10 स्मारक

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(1) लोकप्रिय समागम के किसी स्थान के लिए प्रत्येक परिदर्शक से नीचे अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर लिया जायेगा, अर्थात् :–

अनुसूची

परिदर्शकों की श्रेणी लोकप्रिय समागम के नाम अवधि जिसके लिए पथकर पथकर की दर लिया जायगा (रुपये में) 1 2 3 4

1. विदेशी ताजमहल और अन्य लोकप्रिय पूरा दिन (रात्रि को छोड़कर) 500 समागन के स्थान

** ताजमहल और अन्य लोकप्रिय पूरी रात (सायं 7.30 बजे से प्रातः 1000 समागम के स्थान 6.00 तक)

** आगरा का किला पूरा दिन 50

** ताजमहल/आगरा का किला को पूरा दिन 10 छोड़कर अन्य स्मारक

2. भारतीय ताजमहल। पूरा दिन (प्रातः 6.00 बजे से सायं 10 7.30 बजे तक)

** आगरा का किला। तदैव 10

** फतेहपुर सीकरी। तदैव 10

** सिकन्दरा। तदैव 5

** एत्मादउद्दौला तदैव 5

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 5191/Aa-1-
2000-339DA/83 dated December-4,2000
No. 5191/Aa-1-2000-339DA/83
Dated:Lucknow December 4,2000
IN exercise of the powers under section 39-A and section 55 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-encacted with modification by the Uttar Pradesh President's Acts (Re-enactment with Modifications) Act, 1974 (U.P. Act No. 30 of 1974) read with section 21 fo the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), The Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Ara Development Authority (Assessment and Collection of Toll) Rules, 1999.
THE AGRA DEVELOPMENT AUTHORITY (ASSESSMENT AND
COLLECTION OF TOLL) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2000
1. (1)—These rules amy be called the agra Development Authority Short title and
(Assessment and Collection of Toll) (First Amendment) Rules, 2000 Commencement
2. They shall come into force at once.
2. In the Area Development Authority (Assessment and Collection of Toll) Amendment of
Rules, 199, in rule 4, for sub-rule (1) set out in column-1 below, the sub-rule as set rule 4
out in column-2 shall be substituted, namely :-
Column-1
Existing sub-rule
1. Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in column (G) of the Schedule below rates :-
schedule
Category of visitor Name of Popular resore Period for which toll shall Rate of Tollbe chared (in Rs.) 1 2 3 4
1. Foreigners Taj Mahal and other place of Whole day, except right 500
Popular resort
-Do- Taj Mahal and other place of Night (From 7.30 p.m. to 1000 popular resort 6.00 a.m.)
-Do- Fort Whole day 50
-Do- Other than Taj/Fort Whole day 10
1. Indians Taj Mahal and other place of From 6.00 a.m. to 8.00 100
popular resort. a.m. or 4.30 p.m. to 7.30 p.m.
-Do- Taj Mahal From 8 a.m. to 4.30 p.m. 10
-Do- Taj Mahal and other places of Night from 7.30 p.m. to 200
popular resort. 6.00 a.m.
-Do- Other than Taj Whole day 10

Column-2
Sub rule as herby substituted
1. Toll shall be charged from every visitor to any place of popular resort at the specified in column (4) of the Schedule below namely :_
schedule

Category of visitor	Name of Popular resort	Period for which toll shall be chared	Rate of Toll (in Rs.)
1	2	3	4
1. Foreigners	Taj Mahal and other place of popular resort	Whole day, except night	500
-Do-	Taj Mahal and other place of popular resort	Night (From 7.30 p.m. to 6.00 a.m.)	1000
-Do-	Agra Fort	Whole day	50
-Do-	Other than Taj Mahal/Agra Fort	Whole day	10
1. Indians	Taj Mahal	Whole day (From 6.00) 10 a.m. to 7.30 p.m.)	
-Do-	Agra Fort	-Do-	10
-Do-	Fatehpur Sikri	-Do-	10
-Do-	Sikandra	-Do-	5
-Do-	Etmadduddaula	-Do-	5

By order

ATUL KUMAR GUPTA,
Sachiv.

शीर्ष प्राथमिकता

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 1
संख्या–3397(1)/9–आ–1–01–31 विविध 2001
लखनऊ : दिनांक 2 जुलाई, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

टी0टी0जेड0 क्षेत्र में ए0डी0बी0 से वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एट आगरा नामक परियोजना प्रस्तुत की गई है। इस परियोजना के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को एतद्द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. कृपया समय–समय पर ए0डी0बी0 मिशन के भ्रमण के दौरान परियोजना के संबंध में समस्त वांछित सूचनाएं मिशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त भविष्य में ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं के सम्बन्ध में आयोजित होने वाली बैठकों में भी भाग लेने का कष्ट करें।

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

संख्या – 3397(1)/9–आ–1–01, तद्दिनाँक ।
1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

अमिताभ त्रिपाठी
अनु सचिव

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–3397 / 9–आ–1–01–31विविध / 2001

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक–2 जुलाई, 2001

विषय : आगरा विकास प्राधिकरण की ए0डी0बी0 वित्त पोषित ट्रैफिक मैनेजमेंट की परियोजना के संबंध में।

महोदय,

आगरा विकास प्राधिकरण की ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषित इम्प्रूवमेंट वर्क्स फार स्मूथ ट्रैफिक फ्लो एट आगरा की एक संशोधित योजना आपके पत्र संख्या–3071 / डी / ईई / 2001, दिनांक–11.06.2001 द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत परियोजनाओं के सामाजिक विश्लेषण हेतु कतिपय सूचनाओं की निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। निर्धारित प्रारूपों की एक छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि वांछित सूचनाएं ए0डी0बी0 के कन्सलटेशन मिशन के दिनांक–4 व 5 जुलाई, 2001 को आगरा भ्रमण के दौरान उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त यदि मिशन द्वारा परियोजना के संबंध में अन्य सूचनाओं की अपेक्षा की जाती है तो कृपया उन्हें भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

अमिताभ त्रिपाठी
अनुसचिव

Environmental Improvement Project/Agra/Mathura/Firozabad Trapezium Data Requirements for Social Analysis

Data and information to be collected from Agra Development Authority/Chief Engineer Jal Nigam/Municipalities of Agra, Firozabad, Mathura and Vrindavan Jal Nigam and Superintending and Executive Engineers (construction).

(i) General Data

Below Poverty Line Census prepared by Rural Development Ministry of Go UP in 1998/99 will be referred to estimate the % of poor households. Population and household records that are maintained Nagar Palika Nigam will be used to estimate population and households and their income levels (poor/non-poor).

Please provide a copy of 'Below Poverty Line Census 98/99 from Rural Development and Urban Development Departments for the three districts-Agra,Mathura and Firozabad.

City Population

Zone/Ward No of Population % of %of Poor %Poor

Households Households Households HH connected Men Women

Commercial Establishments in the City

one/Ward No of No of Whether all If not, how Other sources

Commercial Employees connected may connected of water if

Establishments not connected

Male Female

Industrial Establishments in the City

Zone/Ward No of No of Connected to Number If not connected,

commercial Employees water supply Paying water sources

establishments Water taxes

Including

cottage Male Female

industries

No No

Conne not

cted conne

cted

Summary of Water Supply in the City

Zone/Ward Overhead Capacity Electric Own-well Water No of

thank/ of the tank Pump, No pumping require person

Ground- of pumps ment use

level tank and H/P per day water

Hotel

Restaurant

Household

School

College

Govt

Offices

Private

Offices

Laundry

Existing Water Supply Connections in the city
Zone/Ward No of Households connected to water Number of Poor households

Supply Scheme connected to Water Supply Scheme

Standing Pipes Public Wells

Proposed Water Supply Connections

Zone/Ward No of Households Planned to be Number of Poor households Planned
Connected to be connected

Proposed Water Supply Connections
one/Ward No of Industrial Units and Commercial Untis

Planned to be connected

Industries Commercial Units

(ii) Detailed Data

Existing Water Supply Scheme

1. What is the average per capita LPD supply for each category-households, commercial establishments, hospital, hotels, government offices, industries ?

2. Current water supply as a % of the required supply of each above category.

3. What is the municipal requirements for horticulture, parks, amousement parks, flushing drains, hydrants?

Visitor/Migrant Population

1. What is the average number of visitors to the city ?

A day _____

A week_____

A month_____

A year _____

2. How much is allocated for their use ?

3. Who pays for such allocation?

3. Do such allocation affect the efficient water supply to those who are connected to the scheme?

4. What action are being taken or proposed to be taken to address the water demands of floating/visiting/migratory individuals in the city?

5. Any document pertaining to this issue?

6. If yes, please provide a copy of the document.

Proposed Augmentation of Water Supply in Existing Wards/zone

1. Will the proposed augmentation programme connect all households, commercial establishments, indsutries, hotels and hospital to the mains?

2. What is the expected increase in LPD per capita for each of the above categories?

3. Is there a special programme to provide water to the poor who live in slums and in the city fringe? Details of such plans and proposals.

4. What is the total number of such households that will be targeted by the programme in each ward/zone?

5. Will these households be given special prgramme with subsidised connecting fee and water rates?

6. Will there be a community monitoring system to review quality and quantity of water supply on daily basis? Explain pl.

8. In the new scheme, is there a provision to resort to new technology assuring water supply (quality and quantity) to each committed entitity?

Household

Commercial units

Government agencies

Industries

Proposed New Connections in New Zones

1. Are there any wards or zones that do not get water from the water supply scheme? What are they?

2. How many households/commercial establishments/hospitals/hotels/government establishments/industries are there in each of these wards/zones?

3. What are their sources of obtaining water?

4. Estimate at least the percentage of households/commercial

establishments/hospitals/hotels/government establishments/industries by their main source of water.

5. With the proposed water supply project, how many of wards which do not get any water will get water?

6. Is this supply for all household and other units?

7. If not, what is the proposed distribution range? How many more houses, commercial units?

8. Do you have any priority list in connecting new units to water supply system?

9. If yes, please provide a copy of the policy and strategy.

Land Requirements in Firozabad for Water Supply Project

Project Component Land Area to be Remarks

Acquired

Water Treatment Plant 4 ha This land is once a year cultivated

land belonging to villagers of Pempura. There is a labour colony close to the proposed Treatment Plant. No houses need to be demolished

Overhead Tanks/reservoirs 1 ha x 8 = 8 ha 5 overhead tanks (O.H.Ts) already exist. 4 new O.H. Ts. are proposed.

Staff Quarters 1 ha x 8 = 8 ha Adjncent to O.H. Ts.

Clear water reservoir ?

Chlorinating Plant 4 ha ?

4 pumping plants 8 ha ?

Distribution pipes Road reservation land Temporary disturbances;PWD

strips-100km lands to be acquired temporarily

Total 35 ha? Jal Nigam expects to negotiate

land values and purchase instead

of acquiring land. 5 existing O.H.

Ts can largely be augmented in

already acquired land.

The Jal Nigam of Firozabad expects to negotiate with land owners and purchase the required land for the project at the market price. This would avoid protracted legal process of land acquisition under the Land Acquisition Act. Estimated cost of land acquisition Rs 20,000,000

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 1

संख्या 1031/9–आ–1–2001

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

गाजियाबाद इन्ट्रा सिटी रोड परियोजना का अध्ययन तथा उसे निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्यरूप देने से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा एवं इससे सम्बन्धित विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित करवाने हेतु राज्यपाल महोदय, आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते हैं :–

(i) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव। सदस्य

(ii) सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन। सदस्य

(iii) सचिव, नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन। सदस्य

(iv) उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। सदस्य

(v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लि0। सदस्य संयोजक

उक्त समिति के संयोजक, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम होंगे।

समिति का विषय क्षेत्र निम्न होगा :–

1. नगर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था का सर्वेक्षण करवाना तथा सर्वेक्षण के आधार पर समस्याओं का चिन्हीकरण।
2. बिन्दु–1 में चिंहित समस्याओं में सुधार लाने हेतु प्रस्ताव।
3. बिन्दु–2 में प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय आंकलन तथा उसे निजी क्षेत्र के द्वारा क्रियान्वित कराने हेतु योजना तैयार करवाना।
4. योजना के क्रियान्वयन में शासन के विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित करवाना।

भवदीय

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 1031(1)/9–आ–1–2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के समस्त सदस्य
2. आवास एवं नगर विकास, विभाग के सभी अनुभाग
3. अपर निदेशक आवास बन्धु, उ0प्र0

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 1

संख्या 1032/9–आ–1–2001

लखनऊ : दिनांक 26 फरवरी, 2001

कार्यालय–आदेश

शासन स्तर पर गाजियाबाद इन्ट्रा सिटी रोड परियेाजना का अध्ययन तथा उसे निजी क्षेत्र के माध्यम से कार्यरूप देने से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न विभागों में आपसी सामन्जस्य स्थापित करवाते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 1031/9–आ–1–2001 दिनांक 26/2/2001 के द्वारा गठित समिति की सहायता के लिए श्री राज्यपाल, नगर स्तर पर निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित करने के निर्देश देते हैं।

1. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण गाजियाबाद अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, गाजियाबाद सदस्य
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक गाजियाबाद सदस्य
5. मुख्य नगर अधिकारी, गाजियाबाद सदस्य
6. रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर, गाजियाबाद सदस्य
7. उप महाप्रबन्धक, पावर कारपोरेशन, गाजियाबाद सदस्य
8. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद सदस्य
9. अधिशाषी अभियन्ता, नेशनल हाई–वे डिवीज़न, गाज़ियाबाद सदस्य
10. चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. उ0प्र0 सदस्य
11. रीजनल मैनेजर, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, गाजियाबाद सदस्य संयोजक

उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा संयोजक, रीजनल मैनेजर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम गाजियाबाद होंगे।

समीति का कार्यक्षेत्र निम्न होगा :–

1. नगर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था का सर्वेक्षण करवाना तथा सर्वेक्षण के आधार पर समस्याओं का चिन्हीकरण।
2. बिन्दु–1 में चिन्हित समस्याओं में सुधार लाने हेतु प्रस्ताव।
3. बिन्दु–2 में प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय आंकलन तथा उसे निजी क्षेत्र के द्वारा क्रियान्वित कराने हेतु विस्तृत योजना तैयार करवाना।
4. अन्य प्रदेशों में क्रियान्वित की गई इसी प्रकार की योजना के लिए अपनायी गयी नीतियों का अध्ययन।
5. योजना को लागू करने के लिए विशेषज्ञों से सुझाव एवं प्रस्ताव प्राप्त करना।
6. नगर स्तर पर उक्त योजना को लागू करने के लिए शासन के विभिन्न विभागों में आपसी सामन्जस्य।
7. शासन स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या : 1031/9–आ–1–2001 दिनांक फरवरी, 2001 के द्वारा गठित समिति के द्वारा दिये गए निर्देशों का अनुपालन।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 1032(1)/9–आ–1–2001 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
5. समिति के समस्त सदस्य।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 3

संख्या–408/9–आ–3–2001–74 एल.ए./96 टी.सी.

लखनऊ : दिनांक 7 मार्च, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर शासनादेश संख्या–यूओ0–235/37–ओ0पी0–1/12 बजट/84 दिनाँक 26–12–1988 द्वारा यातायात एवं परिवहन प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के क्रियाकलापों में मुख्यतः प्रदेश के बड़े नगरों में मुख्य यातायात समस्याओं जैसे यातायात सघनता, मिश्रित यातायात, परिवहन सुविधाओं का अभाव, उच्च दुर्घटना दर, मार्गों के किनारे का आच्छादन, मार्गों की चौड़ाई, चौराहों का अनियोजित स्वरूप, आदि का गहन अध्ययन कर नियेाजन एवं तकनीकी सुझावों के साथ–साथ परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं। पूर्व में आगरा, वाराणसी, तथा अर्ध कुम्भ मेला हरिद्धार 1992 के संबंध में यातायात एवं परिवहन अध्ययन तथा लखनऊ नगर में स्थित आई0टी0, बेगम हजरत महल पार्क, टेढ़ी पुलिया, वायरलेस, आलमबाग, तथा शारदा नगर स्थित चौराहों के संबंध में इण्टर स्पेशल इम्प्रूवमेन्ट प्लान के कार्य इस प्रकोष्ठ द्वारा किये गये हैं।

2– वर्तमान में इस प्रकोष्ठ के द्वारा प्रथमतः लखनऊ नगर की यातायात एवं परिवहन समस्याओं पर गहन अध्ययन करके नियोजन एवं तकनीकी सुझावों को सम्मिलित कर परियेाजनायें वरीयता प्रदान करते हुए तैयार की जायेगी जिसका समन्वय श्री जी0पी0 श्रीवास्तव, मुख्य वास्तुविद नियोजक (प्राधिकरण सेवा) करेंगे। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य बड़े नगरों के सम्बंध में भी इन परियोजनाओं को तैयार करने का कार्य इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा।

3– चूंकि ट्रैफिक प्लान का अनुमोदन करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है। अतः यह भी निर्णय लिया गया है कि तैयार किये गये ट्रैफिक प्लान का अनुमोदन मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित अधिकारी समिति के सदस्य होंगे :–

1– निदेशक, यातायात।

2– जिलाधिकारी।

3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।

4– मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम।

5– उपाध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण।

6– लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि।

7– रेलवे विभाग के प्रतिनिधि।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेवले एवं पूर्वोत्तर रेलवे।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 6

संख्या 4067/9–आ–3–2001–74 एल0ए0/96 टी0 सी0

लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, के मुख्यालय पर शासन द्वारा यातायात एवं परिवहन प्रकोष्ठ का सृजन किया गया है। इस प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश के बड़े नगरों में मुख्य यातायात समस्याओं जैसे–यातायात सघनता, मिश्रित यातायात, परिवहन सुविधाओं का अभाव, उच्च दुर्घटना दर, मार्गों के किनारों का आच्छादन, मार्गों की चौड़ाई, चौराहों का अनियोजित स्वरूप, आदि का गहन अध्ययन कर नियोजन एवं तकनीकी सुझावों का साथ–साथ परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

2. वर्तमान में लखनऊ के साथ–साथ आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर एवं मुरादाबाद की यातायात/परिवहन योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम चक्र में सभी प्राधिकरण वाले नगरों के ट्रैफिक प्लान बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है और कार्य की विस्तीर्णता को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल लखनऊ के अतिरिक्त एक अथवा यथासम्भव अन्य नगरों का चयन कर उसका ट्रैफिक प्लान नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार कराए जाए। शेष नगरों के लिए बाहरी एजेन्सी तय कर उनसे ट्रैफिक प्लान बनवाया जाए।

3. अतः इन बाहरी एजेन्सी के चयन व उनसे कराये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा आदि तैयार कराने व तदुपरान्त उनके कार्यों की समीक्षा किए जाने के लिए प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग – अध्यक्ष
(2) सचिव, नगर विकास – सदस्य
(3) निदेशक, यातायात, उ0प्र0 – सदस्य
(4) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक – सदस्य सचिव
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय – सदस्य

पर पूर्वी तथा पश्चिमी उ0प्र0 के नगरों के ट्रैफिक प्लान के प्रभारी (वरिष्ठ नगर नियेाजक/नगर नियोजक)

(6) लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक – सदस्य
(यातायात)/नगर नियोजक (यातायात) यदि कोई हों।

ट्रैफिक प्लान बनाते समय निम्न प्रकार के सुझाव अलग–अलग प्रस्तुत किये जायेंगे :–

(अ) अल्पकालीन ट्रैफिक योजना, जिसमें मार्ग सुधार/विस्तार चौराहा सुधार, एक मार्गीय व्यवस्था, आइलैंण्ड तथा अलग पैदल मार्ग की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित सुझाव।

(ब) दीर्घकालीन योजना जिसमें फ्लाई ओवर, ओवर ब्रिज बाई पास आदि ऐसे सुझाव सम्मिलित किए जायें जो निर्माण अवधि तथा पूंजी निवेश के दृष्टिगत वृहत योजनाएं हों।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, यातायात, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग मुख्यालय के इस समिति में नामित सदस्यगण।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 1
पत्र संख्या 3120/9–आ–1–1999
लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, 1999

कार्यालय–ज्ञाप

योजना आयोग नई दिल्ली, के पत्र संख्या PC/WS/10(S)8/98 दिनांक 10 जून, 1999 के माध्यम से जल संरक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। प्राधिकरणों एवं आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में पेयजल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण हेतु कार्य–योजना निर्धारित की जा रही है।

1. प्रस्तावित योजना स्थल पर यदि प्राकृतिक तालाब, बड़े गड्ढे अथवा गहरी खाईयाँ हैं तो उनका स्वरूप यथावत बनाए रखा जाए एवं ले–आउट डिजाईन में यह सुनिश्चित किए जाए कि सड़कों इत्यादि का ढाल तालाब की ओर हो ताकि वारिश के पानी का भराव एवं संरक्षण इन गड्ढों में हो सके जिससे अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्ट्रेटा की रिचार्जिंग होती रहे परन्तु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि सीवर अथवा अन्य प्रकार का गन्दा पानी ऐसे गड्ढों में जमा न होने पाए ताकि–भू–जल के प्रदूषण एवं संक्रामक रोगों से सुरक्षा हो सके।
2. विकसित की जा रही कालोनियों में कुछ–कुछ सेक्टरों में छोटे–छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाए जाए एवं उनका ट्रीटेड वाटर घरेलू लान, पार्कों, सड़क के किनारे वृक्षों की सिंचाई के उपयोग में लाया जाय जिससे उपरोक्त कार्यों में उपयुक्त किए जा रहे स्वच्छ पेय जल पर अनावश्यक भार न पड़े। इस व्यवस्था से मेन ट्रंक सीवर लाईन एवं बड़े ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट के निर्माण लागत में भी कमी लाई जा सकती है।
3. विकसित की जा रही कालोनियों में सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट के त्वरित निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए ताकि सीवेज वाटर से नदियों का प्रदूषण रोका जा सके। इस संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्य–योजना का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 3120(1)/9–आ–1–1999 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 1

संख्या – 665/9–आ–1–2000

लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2000

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा आवास संघ द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों/भवनों को विकसित करने तथा अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया जाता है। इन वित्तीय संस्थाओं में हडको एक प्रमुख वित्तीय संस्था है, जिसके द्वारा उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में ऋण की धनराशि दी गई है, परन्तु इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण हडको से प्राप्त ऋण तथा उस पर देय ब्याज के भुगतान में असमर्थता व्यक्त की जा रही है, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त कार्यदायी संस्थायें हडको के ऋणों तथा देय ब्याज के भुगतानों में वितिथि (डिफाल्टर) हो गयी हैं। चूंकि उपरोक्त ऋणों के लिए शासन द्वारा गारण्टी दी गई है। इस कारण हडको द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से समय से ऋण तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान के न होने के कारण शासन द्वारा दी गई गारण्टी को (इनवोक) करने की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। समस्या के निराकरण के लिए शासन द्वारा उपरोक्त कार्यदायी संस्थाओं को समय–समय पर यह निर्देश भी दिए गये हैं कि समस्त वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के प्रतिदान के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा ''एकमुश्त समाधान योजना'' के अन्तर्गत पैकेज किया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रयास किया गया है, जिसका उन्हें पर्याप्त लाभ भी मिला है। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा हडको को भी प्रस्ताव भेजे गये हैं, परन्तु हडको द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में सार्थक सहमति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण हडको के ऋणों के भुगतान के सम्बन्ध में डिफाल्ट की स्थिति बनी हुई है।

अतएव् शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा ''एकमुश्त समाधान योजना'' में छूट प्रदान की गई है, उसी प्रकार की छूट हडको द्वारा भी कार्यदायी संस्थाओं को दी जाये। इस समस्या के निराकरण तथा सुझाव हेतु निम्न प्रकार से वर्किंग ग्रुप गठित किया जाता है :–

1. सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन – संयोजक
2. प्रमुख सचिव, वित्त के प्रतिनिधि/सचिव, वित्त – सदस्य
3. श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (बैंकिंग), उ0प्र0 शासन – सदस्य
4. हडको के निदेशक/कार्यकारी स्तर के अधिकारी – सदस्य

उपरोक्त वर्किंग ग्रुप हडको के साथ किए जाने वाले वन टाइम सेटेलमेंट पुनर्वास पैकेज के सम्बन्ध में विस्तृत सुझाव देगा कि किस प्रकार इसका समाधान किया जाये। इसके साथ–साथ उक्त समिति प्राधिकरणों की ओर से देयकों का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में भी उपयुक्त एवं स्वस्थ वित्तीय व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में भी सुझाव देगी। समिति से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त समिति यथाशीघ्र अपना सुझाव शासन को प्रस्तुत करे।

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या – 665(1)/9–आ–1–2000 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री पंकज अग्रवाल, सचिव (बैंकिंग), उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हडको।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश आवास संघ।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–321 / आ0ब0 / नि0स0–सेनेटरी मार्ट / 2000–01

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास बन्धु

लखनऊः दिनाँक– 7 जुलाई 2000

विषयः आश्रय योजना तथा भाऊराव देवरस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले भवनों में सेनेटरी मार्ट द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री का उपयोग।

महोदय,

प्रदेश में मैल ढोने जैसे अमानवीय पेशे का प्रचलन अभी भी है अतः इससे सम्बन्धित स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदेश में सेनेटरी माटर्स येाजना (विवरण संलग्न) चलायी जानी प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्राधिकरण में आश्रय योजना के अन्तर्गत जो भी भवन निर्मित किये जाये, उनमें शौचालय के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उक्त सेनेटरी मार्ट से ही क्रय की जाये।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – (1) / आ0बा0 / नि0स0–सेनेटरी मार्ट / 2000–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित :–

आज्ञा से,

आनन्द कुमार
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
सेनेटरी मार्ट योजना

प्रदेश में अभी भी मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे का प्रचलन है। इस अमानवीय पेशे से सम्बन्धित स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन हेतु प्रदेश में संचालित येाजनाओं में अभी तक सीमित सफलता प्राप्त हो सकी है। इसी सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी ने दिसम्बर, 1999 में घोषणा की कि स्वच्छकारों का पुनर्वासन राष्ट्रीय लक्ष्य है। पिछले अनुभवों से स्पष्ट है कि शुष्क शौचालयों के रहते स्वच्छकारों की विमुक्ति सम्भव नहीं है। सुलभ इन्टरनेशनल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में शुष्क शौचालयों की अनुमानित संख्या 19,94,520 है और 20,54,960 आवास शौचालयविहीन हैं।

वर्ष 1992–93 में निगम द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा परिभाषित मैला तथा गन्दगी के सफाई में पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पेशे में लगे स्वच्छकारों तथा उनके पात्र आश्रितों की संख्या 2,46,916 पायी गई थी। वर्ष 1996–97 तक इनमें से 1,29,920 व्यक्तियों को निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु वित्त–पोषित किया गया। वर्ष 1996–97 तक इनमें से 1,29,920 व्यक्तियों को निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु वित्त–पोषित किया गया। वर्ष 1996–97 में भारत सरकार की नयी परिभाषा के अनुसार केवल शुष्क शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकार एवं उनके पात्र आश्रितों का पुर्नसर्वेक्षण कराया गया। इसमें कुल 46,588 पात्र व्यक्ति चिन्हित किये गये। निगम द्वारा वर्ष 1999–2000 तक इनमें से 41,484 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु वित्त–पोषित किया जा चुका है। इस प्रकार अब मात्र 7,104 पात्र व्यक्ति वित्त–पोषण हेतु अवशेष हैं, परन्तु, फरवरी–मार्च,2000 में कराये गये त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर अभी भी अनुमानित तौर पर 1,49,202 व्यक्ति मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे से सम्बद्ध हैं। इस आंकड़े की पुष्टि वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर कराया जाना आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश में सेनेटरी मार्ट्स योजना के माध्यम से स्वच्छकारों की विमुक्ति एवं पुनर्वासन किया जाना प्रस्तावित है।

योजना का लक्ष्य

1. ऐसे स्वच्छकार जो मैला ढोने के अमानवीय पेशे में कार्यरत हैं, को उक्त पेशे से पूर्ण रूप से मुक्त कराया जाना।
2. ऐसे उपलब्ध स्वच्छकारों तथा उनके पात्र आश्रितों को स्वरोजगार का स्थाई अवसर उपलब्ध कराया जाना।
3. ऐसा वातावरण तथा स्थिति तैयार करना, जिससे इस अमानवीय पेशे की आवश्यकता ही न रह जाये एवं समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा हो।

योजना का स्वरूप

सेनेटरी मार्ट्स एक ऐसा बाजार है, जहाँ सामान्य व्यक्तियों की स्वच्छता सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह उत्पादन केन्द्र दुकान एवं सेवा केन्द्र तीनों रूप में कार्य करता हैं। उत्पादक के रूप में सेनेटरी मार्ट शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों जैसे–पैन, टैप, फुटरेस्ट, फिनायल, ब्रश आदि का उत्पादन करता है। दुकान के रूप में यह स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का विक्रय करता है, जिनमें शौचालयों के निर्माण में प्रयोग होने वाली आवश्यक समस्त सामग्रियों यथा–सेनेटरी पैन, स्ट्रैप, पिट कवर्स तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ यथा–साबुन, टायलेट ब्रश, ब्लीचिंग पाउडर, फिनायल इत्यादि सम्मिलित हैं। सेवा केन्द्र के रूप में शौचालयों के निर्माण तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक जानकारी तथा सलाह देने का कार्य सेनेटरी मार्ट द्वारा किया जाता है। अतः सेनेटरी मार्ट की अवधारणा उत्पादन, विपणन तथा सेवा सम्बन्धी कार्यों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने पर आधारित है।

गठन एवं वित्त पोषण

सेनेटरी मार्ट के संचालन हेतु 20 से 30 ऐसे व्यक्तियों की समिति बनाया जाना प्रस्तावित है, जो मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं। तत्पश्चात् सेनेटरी मार्ट्स के संचालन के लिए प्रोजेक्ट

बनाया जायेगा जिसमें मसूह को इस प्रकार सब्सिडी एवं मार्जिन मनी की सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी, जैसी अभी तक स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत थीं। उदाहरणार्थ 25 व्यक्तियों की समिति में प्रत्येक व्यक्ति को 20 हजार रूपये की प्रोजेक्ट धनराशि के सापेक्ष मार्ट की परियेाजना की कुल लागत रु0 5 लाख होगी, जिसमें से रु0 10 हजार प्रत्येक व्यक्ति को सब्सिडी अर्थात रु0 2.5 लाख सब्सिडी एवं रू0 3 हजार प्रत्येक व्यक्ति अर्थात रू0 75 हजार कुल 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मार्जिन मनी एवं शेष रू0 1.75 लाख समिति को बैंक से ऋण प्राप्त कराया जायेगा। उपरोक्तानुसार 20 व्यक्तियों की समिति के लिए कुल परियोजना लागत रू0 6 लाख होगी। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सम्भावित कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से धनराशि प्राप्त कर बैंक ऋण से स्थान पर सीधे धनराशि देने का विकल्प विचाराधीन है।

इस प्रकार उपरोक्त गठित एवं स्थापित सेनेटरी मार्ट्स द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से जहाँ एक ओर शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए सूचना शिक्षा एवं प्रसार वृहद अभियान चलाया जायेगा, वही इस मार्ट द्वारा किये जा रहे व्यवसाय से अर्जित लाभ से इस समिति में लगे व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

अद्यतन कृत कार्यवाही

प्रदेश में इस योजना के संचालन हेतु निम्न कार्यवाहियाँ कर ली गयी है :

1. प्रदेश में त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित 1,49,202 स्वच्छकार एवं उनके आश्रित अभी भी मैला ढोने जैसे अमानवीय पेशे से सम्बद्ध पाये गये हैं। इन आंकड़ों की पुष्टि हेतु वास्तविक सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है।
2. प्रदेश में सेनेटरी मार्ट के माध्यम से स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों एवं मण्लायुक्तों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके है।
3. जनपद–बरेली, बदायूँ तथा मुरादाबाद में 15 सेनेटरी मार्ट समितियों का गठन कर लिया गया है, जिनके पंजीयन की कार्यवाही चल रही है। जनपद–लखनऊ में यह कार्य प्रगति पर है।
4. सेनेटरी मार्ट समितियों के बाई–लाज तथ वित्त पोषण हेतु परियोजना तैयार करा लिया गया है।

योजना की सफलता के लिए क्रिटिकल बिन्दु

1. शुष्क शौचालयों का जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किया जाना।
2. मार्ट में लगे व्यक्तियों का प्रशिक्षण।
3. मार्ट के प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उत्पादित शौचालयों निर्माण सम्बन्धी सामग्री के विक्रय हेतु मांग।
4. मार्ट के प्रशिक्षित स्वरोजगारियों के द्वारा शौचालय निर्माण हेतु माँग।
5. मार्ट के दुकान में उपलब्ध स्वच्छता सामग्रियों के विक्रय हेतु माँग।

अस्तु, जहाँ एक तरफ सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) के माध्यम से जनता में उक्त कार्यों के लिए मांग पैदा की जानी होगी, वहीं सेनेटरी मार्ट योजना की सफलता के लिए प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा उक्त मार्ट के माध्यम से सृजित किये जा रहे सेवा, उत्पादन एवं विपणन क्षमता का उपयोग किया जाना भी आवश्यक होगा।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नगर विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग में शौचालयों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियाँ तथ स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का उपयोग किया जाता हैं सेनेटरी मार्टों के माध्यम से उल्लिखित विभागों में वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति जहां कहीं सम्भव हो वहां किये जाने से जहां एक ओर सामग्रियों की गुणवत्ता का स्तर बनाये रखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक रूप से पिछड़े एवं अमानवीय पेशे में गे स्वच्छकारों का वैकल्पिक रेाजगार आर्थिक रूप से परिपुष्ट होगा।

योजना की आर्थिक परिपुष्टता हेतु अपेक्षित अन्तर्विभागीय सहयोग

वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत सेनेटरी मार्ट्स योजना की सफलता एवं उसके आर्थिक दृष्टि से परिपुष्टता के लिए निम्न कार्यवाहियाँ प्रस्तावित हैं :–

1. नगर विकास विभाग के माध्यम से नगर निगमों तथा नगर निकायों को यह निर्देश जारी किये जायें कि सेनेटरी मार्ट के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार भूखण्ड व्यवसायिक स्थलों पर लीज पर उपलब्ध करा दें।

2. नगर विकास विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था की जाये कि समस्त नगर निगमों एवं नगर निकायों में स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों का क्रय यथासम्भव सेनेटरी मार्ट से किये जाने की व्यवस्था की जाये।

4. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था की जाये कि शुष्क शौचालयों को जल–प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के कार्य में यथासम्भव सेनेटरी मार्ट का उपयोग किया जाये। साथ ही शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के मध्यम से करायी जाये।

5. राजस्व विभाग के माध्यम से व्यवस्था कराई जाये कि कलेक्ट्रेट एवं राजस्व कार्यालयों में सवच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से करायी जाये।

6. ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से व्यवस्था कराई जाये कि ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों की आूपर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।

7. शासकीय निर्माण विभागों जैसे–लोक निर्माण विभाग, आवास–विकास परिषद, पुलिस आवास निगम आदि के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों में शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा स्वच्छता सम्बन्धी सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।

8. आवास विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि भाऊरावदेवरस योजनान्तर्गत निम्नतम आय वर्ग के लिए निर्मित होने वाले भवनों के शौचालयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति यथासम्भव सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराई जाये।

9. पंचायती राज विभाग के माध्यम से यह व्यवस्था कराई जाये कि ग्राम प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों आदि माननीय जनप्रतिनिधियों, जिनके भवनों में शुष्क शौचालय हैं अथवा शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, उनके भवनों में शौचालयों के निर्माण सेनेटरी मार्ट के माध्यम से कराये जाएं ताकि समाज के अन्य व्यक्ति भी उनका अनुसरण करें। पंचायती राज विभाग पूर्व से ही ग्रामीण सेनेटरी मार्ट योजना का संचालन कर रहा है, इसलिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सेनेटरी मार्ट योजना में पंचायती राज विभाग की सम्बद्धता सम्भव है। यह विभाग यथासम्भव सेनेटरी मार्ट की सामान का प्रयोग समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता कार्यक्रम में कर सकता है।

10. मण्लायुक्तों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाय कि वे अपने मण्डल/जनपद को मैला ढोने के पेशे से मुक्त करने हेतु अंतर्विभागीय समन्वय तथा सहयोग से सघन प्रयास करें। वे स्वयं कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करके निश्चित अवधि के अन्तर्गत अपने मण्डल/जनपद को उक्त पेशे से पूर्णतया मुक्त जनपद घोषित करायें। इस कार्य में सफलता हासिल करने वाले मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को शासन स्तर से प्रशस्ति–पत्र जारी किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस येाजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय सफाई मजदूर वित्त एवं विकास निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु वित्त विभाग से 5 करोड़ रूपये की शासकीय गारण्टी अपेक्षित है।

संख्या–क0नि0–5–515 / 11–2001–500(35) / 2000

प्रेषक,

टी. जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनाँक : 22 जनवरी, 2001

विषय : जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सम्पत्तियों के न्यूनतम बाजार मूल्य व विकास प्राधिकरणों / उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मूल्यों में एकरूपता लाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस विभाग द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण व जिलाधिकारी लखनऊ से सम्पत्तियों की मूल्य दरें प्राप्त करके उनके तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, जिससे यह पता चला है कि जहां जिलाधिकारी द्वारा आवासीय व व्यावसायिक भूमि व भवनों की दरें अलग–अलग निर्धारित की गई हैं। वहीं विकास प्राधिकरण द्वारा एक ही प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं। कई मामलों में कलेक्टर द्वारा निर्धारित आवासीय दरें विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों से कम हैं किन्तु व्यावसायिक दरें अधिक हैं। इस विभाग को यह आशंका है कि अन्य विकास प्राधिकरणों में भी इसी प्रकार की स्थिति होगी और उत्तर प्रदेश आवस एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित दरें भी कई स्थानों पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम होंगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरें प्रत्येक दो वर्ष बाद आमतौर पर पुनरीक्षित की जाती हैं और आवश्यकतानुसार इस अवधि के बीच में भी उन्हें पुनरीक्षित किया जा सकता है किन्तु विकास प्राधिकरणों व उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित दरें प्रत्येक दो वर्ष में सामान्यतः पुनरीक्षित नहीं होती हैं।

2. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इस विभाग का प्रस्ताव है कि आवास विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् व समस्त विकास प्राधिकरणों की निर्देश दें दिये जाय कि जहाँ भी उनके द्वारा निर्धारित सम्पत्तियों की दरें जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्य से कम हों, वहां वे अपनी दरें बढ़ाकर न्यूनतम बाजार मूल्य के अनुरूप दरें निर्धारित करें, ताकि कम दरों के कारण उन्हें वित्तीय हानि न हो और न ही स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राजस्व की हानि सरकार की हो। दरें सुव्यवस्थित होने पर इन संस्थाओं के प्लाट व भवन प्राप्त करने की आपाधापी व उसमें सन्निहित भ्रष्टाचार में भी कमी आयेगी। इसी के साथ कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि यह संस्थायें अपनी मूल्य दरें सामान्याता प्रत्येक दो वर्ष में पुनरीक्षित किया करें ताकि आगे भी जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्यों से उनकी एकरूपता बनी रहें।

3. जिन क्षेत्रों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बाजार मूल्य की दरें विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद् द्वारा निर्धारित मूल्य की दरों से कम हों, वहाँ अपनी दरें पुनरीक्षित करने के निर्देश इस विभाग द्वारा जिलाधिकारियों को दिये जा रहे हैं।

भवदीय,

टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या–क0नि0–5–515 (1)/11–2001–500 (35)/2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपने जनपदों में जिन क्षेत्रों की सम्पत्तियों की न्यूनतम बाजार मूल्य की दरें संबंधित विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास विकास परिषद्, की मूल्य की दरों से कम हों, उनमें शीघ्र दरों को पुनरीक्षित कराने की कार्यवाही करते हुए दरों में एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी सूचित करें।

2. स्टाम्प आयुक्त व अपर सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनाथ प्रेषित।

आज्ञा से,

टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

संख्या–455 / 9–आ–62001–1019यू0सी0 / 2001

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एंव ग्राम्य नियेाजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 7 अप्रैल, 2001

विषय : माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2002 को योजना भवन में प्रमुख सचिव / सचिवों की हुई बैठक में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2000 को योजना भवन में प्रमुख सचिवों / सचिवों की एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें शासन एवं प्रशासन पर जनता की आस्था और विश्वास को सुदृढ़ करने के लिये पूरी लगन, निष्ठा एवं सवेंदना के साथ जन समस्याओं के त्वरित एवं अन्तिम निस्तारण के लिये प्रत्येक स्तर पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के साथ मनुष्य की मान–सम्मान और स्वाभिमान की बलवती भावना के प्रति सजग रहने पर विचार विमर्श किया गया। इस मूल उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. शासन एवं प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारीगण जन सामान्य जन प्रतिनिधियों के साथ सदव्यवहार एवं शिष्ठाचार को अपनी कार्यशौली को बनायें तथा दूसरों में दोष देखने के स्थान पर आत्मनिरीक्षण द्वारा सदैव स्वयं को बेहतर बनायें। वरिष्ठ अधिकारीगण इस दिशा में एक आदर्श प्रस्तुत करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये एक दृष्टान्त प्रस्तुत करें।

2. कार्यों का निस्तारण पूर्ण ईमानदारी एवं दक्षता के साथ त्वरित गति से किया जाना चाहिए तथा जो भी कार्यक्रम बनायें जायें वे पूर्ण रूप से नियोजित एवं समयबद्ध हों।

3. उल्लेखनीय एवं श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिये, किन्तु कर्तव्यों के उपेक्षा करने वाले अधिकारी की सार्वजनिक निन्दा न करके उनमें सुधार लाने की दृष्टि से उनके वरिष्ठ अधिकारियों को उन्हें अकेले में समझाना चाहिये। यदि तब भी सुधार न हो तो नियमों के अनुसार दोषपूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों को आवश्यक दण्ड प्रदान किया जाय।

4. प्रशासन को ''प्रीडिक्टिव एण्ड प्रिवेन्टिव'' होना चाहिये न कि रिएक्टिव''। प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वे अपने पद के दायित्वों को समझें तथा इन्हें पूर्ण करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों को दूर करने की कार्ययोजना पहले से तैयार रखें।

5. ऐसी नीति बनायी जाय जो अधिकारियों में निहित स्वप्रेरणाशक्ति को विकसित एंव मुखरित होने का अवसर दें।

6. वरिष्ठ अधिकारी विभागीय प्राथमिकताएं तथा लक्ष्य निर्धारित करें तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करते हुये सुनिश्चित करें।

7. भ्रमण कार्यक्रमों को आउट–पुट की दृष्टि से सार्थक बनाया जाय। अनावश्यक रूप से दिल्ली एंव अन्य स्थानों की यात्रायें न की जाय। मुख्यालय से बाहर की बैठकों में निर्णय लेने के लिये सक्षम स्तर के अधिकारी स्वयं पूरी तैयारी के साथ भाग ले, तथा अपने साथ बड़ी संख्या में सहयोगियों को न ले जायं।

8. वरिष्ठ अधिकारियों के परिवारजनों द्वारा एन0जी0ओ0 चलाकर या अन्यथा उनके पद का अनुचित लाभ लेने की शिकायतें बढ़ रही हैं अतः इस पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण लगाया जाय।

9. मीडिया को सूचना देने हेतु शासन द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित है तथा इस प्रक्रिया का उल्लघंन करके सस्ती लोकप्रियता एवं प्रचार के लिये मीडिया से सम्पर्क न किया जाये और ऐसा करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाय।

10. प्राथमिकताओं का पुर्ननिर्धारण कर योजनाओं की संख्या में कमी की जाये ताकि महत्वपूर्ण योजनाओं हेतु धन व ध्यान दिया जा सके। अगला वर्ष नवीन पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है इसीलिए जीरो वेस बजटिंग के आधार पर विचार किया जाये और वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि के साथ–साथ गुणात्मक उपलब्धि हेतु भी प्रभावी व्यवस्था की जाय।

11. एकाउण्टेबिलिटी निर्धारण के लिये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के प्रारूप को अर्थपूर्ण बनाया जाये ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपनी दक्षता का अपेक्षित स्तर बनाये रखने के लिये प्रेरित रहे।

12. अधिकारियों द्वारा शिलान्यास, उद्घाटन न करने हेतु समय–समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं। किन्तु इसका सम्यक अनुपालन नही हो रहा है अतः तद्विधेयक शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13. न्यायिक प्रकरणों में शासकीय हितों की सुरक्षा के लिये सभी स्थायी अधिवक्ताओं के साथ विभागों का तालमेल बेहतर बनाया जाय तथा जिन मामलों में आवश्यक हो वहां निधारित दरों पर अलग से भी विशेष अधिवक्ता की तैनाती के लिये व्यवस्था की जाय।

14. प्रदेश पुर्नगठन के परिणामस्वरूप सृजित नये राज्य उत्तरांचल से सम्बन्धित विषयों को प्रत्येक विभाग में प्राथमिकता के आधार पर देखा जाय तथा निर्णय लिया जाय।

15. सोमवार का दिन मुख्यालय दिवस रहेगा तथा इस दिवस पर कोई बैठक न आयोजित की जाय। सभी स्तर के अधिकारी इस दिन मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे ताकि जनता उनसे मिल सके।

16. विभागीय देयों, औद्योगिक ऋण एवं सहकारी ऋण आदि की वसूली के लिये विशेष प्रयास किये जायें एवं आवश्यकता हो तो एक वसूली अभियान भी आयोजित की जाय।

17. जन सामान्य के शिकायती पत्रों का समयबद्ध एवं सम्यक निस्तारण किया जाय तथा कृत कार्यवाही से शिकायत कर्ता को भी सूचित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्णयों का अपने–अपने विभागों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को दो सप्ताह के अन्दर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या 455 (2)/9आ–6–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अर्द्ध शा0 पत्रांक 687/43–2–2001–14/2–(59)/2000 दिनांक 3.3.2001 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

आज्ञा से,

दीन दयाल
अनु सचिव

संख्या–1872 / 9–आ–1–32 विविध / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग – 1 लखनऊः दिनाँक–21 अप्रैल, 2001

विषय : प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजनाएं वर्ष 2001–2002 हेतु विकास योजना।

महोदय,

विकास प्राधिकरण द्वारा नगरीय विकास के लिए विभिन्न कार्य एवं कार्यक्रम निष्पादित किए जाते हैं। परन्तु विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकलाप, जो आय के मुख्य श्रोत हैं और जिनसे प्राधिकरण के अधिकांश व्यय वित्त पोषित होते हैं, आवासीय योजनाएं ही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकरण आवासीय योजनाओं की प्रगति और उनकी ''पाईप–लाईन'' पर गहराई से ध्यान दे, आवश्यक है कि इस हेतु एक वार्षिक योजना बनाई जाये और तद्नुसार वित्तीय व अन्य संसाधनों का प्रबन्ध किया जाय तथा कार्य सम्पादित किए जायें।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की विकास योजना 2001–2002, निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए तैयार की जाय :

1. भू–अर्जन : प्रश्नगत वर्ष में कितनी भूमि के सम्बन्ध में क्या–क्या कार्यवाही की जायेगी, अर्थात् कितनी भूमि की धारा–4, धारा–6 की अधिसूचना कराई जायेगी व कितनी भूमि का कब्जा प्राप्त किया जायेगा। इस मद में धनराशि की क्या आवश्यकता होगी।

2. मुख्य एवं वाह्य विकास कार्य : विभिन्न आवासीय योजनाओं में कौन–कौन से ट्रंक / वाह्य विकास कार्य किए जायेंगे व उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

3. आन्तरिक विकास कार्य : वर्ष में कितने क्षेत्रफल पर आंतरिक विकास कार्य किए जायेंगे और उसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

4. निर्माण कार्य : वर्ष में कितने भवन किस–किस श्रेणी के बनाये जायेंगे और उनके लिए कितनी धनराशि आवश्यक होगी।

5. इन्फास्ट्रक्चर की कमियाँ : विभिन्न आवासीय योजनाओं में अवस्थापनाओं की ऐसी कमियाँ जिनसे योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, को पूर्ण करने का प्रयास किया जाये। इस प्रकार के कौन–कौन से कार्य लिए जायेंगे व उनके लिए धनराशि की क्या आवश्यकता होगी।

उपरोक्त पाँचों बिन्दुओं पर कार्य योजना बनाई जानी अपेक्षित है। आवश्यक धनराशि का आंकलन करते हुये यह भी विचार करना होगा कि इनका वित्त पोषण किस प्रकार संभव हो सकता है ताकि तत्काल तद्नुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिये जायें।

कृपया उपरोक्तानुसार विचार करते हुए सुविचारित कार्य योजना 05 मई, 2001 तक तैयार कर लें तथा उनका सारांश संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक दशा में 07 मई, 2001 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 1872(1)/9–आ–1–2001, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

क्रमांक कार्य योजना लक्ष्य वित्तीय आवश्यकता (रु0 लाख)
इकाई भौतिक लक्ष्य कुल वर्ष में स्त्रोत अपने/ऋण/अनुदान व्यवस्थित धनराशि
3 आंतरिक विकास
क्षेत्रफल (चालू से पूर्ण) एकड़
क्षेत्रफल (नये) एकड़
विकसित भूखंड नये संख्या
योग
4. निर्माण कार्य
आश्रय संख्या
भाउराव देवरस संख्या
अन्य स्वयंवित्त पोषित संख्या
योग
5 अवस्थापना ''गैप''
योग
महायोग
.....विकास प्राधिकरण
आवासीय योजना के विकास की कार्य योजना 2001–2002

.....विकास प्राधिकरण

आवासीय योजना के विकास की कार्य योजना 2001–2002
क्रमांक कार्य योजना लक्ष्य वित्तीय आवश्यकता (रु0 लाख)
इकाई भौतिक लक्ष्य कुल वर्ष में स्त्रोत अपने/ऋण/अनुदान व्यवस्थित धनराशि
1 भूमि अर्जन
(क) नई धारा 4 अधिसूचनाऐं एकड़
(ख) नई धारा 6 अधिसूचनाऐं एकड़
(ग) नये कब्जे एकड़
योग
2. ट्रंक/वाह्य विकास कार्य
(चालू + नये)
(क) नाले कि0मी
(ख) सीवर लाइन कि0मी
(ग) जलापूर्ति
नलकूप संख्या
जलाशय संख्या
राइज़िंग मेन कि0मी0
(घ) विद्युत
सब स्टेशन संख्या
हाईटेंशनलाइन कि0मी0
(च) सड़क
मुख्य मार्ग कि0मी0

पुल संख्या
योग

संख्या–ए–1–1173 / दस–2001–10 (55) / 2000

प्रेषक,

वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त लेखा अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक– 27 अप्रैल, 2001

विषय : टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड – 5, भाग – 1 के परिशिष्ट – गअपपप में दिये गये ''भण्डार क्रय नियमों'' तथा परिशिष्ट – ग्प में शासन की ओर से ''संविदा'' अथवा ''अनुबंध'' किये जाने हेतु अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि शासकीय कार्यों के सम्पादन में पारदर्शिता लाये जाने की शासन की नीति के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये :–

(क) टेण्डर सूचना का प्रकाशन तथा टेण्डर डाकूमेंट्स का उपलब्ध कराया जाना –

टेण्डर प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने की दृष्टि से आई0टी0 एवं इलैक्ट्रानिक अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या : 1794 / 70–आई0टी0–2000, दिनांक :
08 नवम्बर, 2000 के बिन्दु संख्या : 17 के अनुसार शासन के विभागों द्वारा जारी टेण्डरों की सूचना तथा टेण्डर फार्म की प्रति www.up info-org की साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) टेण्डरों को फाइनल किया जाना –

(1) निर्माण कार्यों के कान्ट्रेक्ट तथा सामग्री की खरीद आदि के सम्बन्ध में क्रय अनुबन्ध में क्रय अनुबन्ध किये जाने हेतु प्राप्त टेण्डरों के निविदादाताओं से बातचीत (निगोशियेशन) सामान्यतः न की जाये। यदि निगोशियेशन द्वारा निविदा प्रकरण में संविदा निष्पादित किया जाना अनिवार्य हो तो सभी निविदादाताओं (जो अर्हता क्षेत्र में आते हैं) से बातचीत (निगोशियेशन) की जाये।

(2) जिन मामालों में ''टेक्निकल बिड'' तथा ''फाइनेंशियल बिड'' दी जानी होती है, उनमें ''टेक्निकल बिड'' के मूल्यांकन के निष्पक्ष मापदण्ड (आब्जेक्टिव क्राइटेरियन) होने चाहिए। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा मात्रात्मक मूल्यांकन (Quantitative Evaluation) हेतु मानक मापदण्ड निर्धारित किए जायें। मानक मापदण्डों का उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेण्ट में भी किया जाये। टेक्निकल बिड के मूल्यांकन में किसी ऐसे बिन्दु या मापदण्ड पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका उल्लेख टेण्डर डाक्यूमेन्ट में न किया गया हो।

(3) टेक्निकल बिड / प्री क्वालीफिकेशन बिड की कण्डीशंस अथवा बिड्स के मूल्यांकन के मापदण्ड शिथिल नहीं किये जायें। इनमें कोई परिवर्तन भी अनुमन्य नहीं होगा, इस आशय का उल्लेख टेण्डर नोटिस (एन0आई0टी0) में ही कर दिया जाये।

(4) टेक्निकल बिड्स / प्री क्वालीफिकेशन बिड्स में किसी टेण्डरदाता द्वारा शर्तों की पूर्ति न होने अथवा आब्जेक्टिव मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम मानक तक न पाये जाने की दशा में फाइनेंसियल बिड्स पर विचार न किया जाये। टेक्निकल बिड / प्री क्वालीफिकेशन बिड के विषय में अन्तिम निर्णय हुये बगैर फाइनेंसियल बिड को किसी भी दशा में खोला नहीं जायेगा।

(5) सामग्री/भण्डार के क्रय के सम्बन्ध में तथा निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में प्राप्त टेण्डर के मूल्यांकन की व्यवस्था प्री क्वालीफिकेशन/टेक्निकल बिड के माध्यम से करते हुए न्यूनतम टेण्डर की दर को स्वीकार करते समय टेण्डर समिति/स्वीकर्ता अधिकारी पूर्व अनुभव तथा प्रचलित बाजार मूल्यों को भी यथा सम्भव ध्यान में रखेंगे।
(6) प्राप्त निविदाओं को ''फाइनल'' करने में नियमों/समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में अनुमन्य सीमा से अधिक ''विचलन'' कदापि न किया जाये। पूर्व के किसी अवसर पर प्राप्त टेण्डर के आधार पर पुनः नये कार्यों के लिए आदेश अथवा चालू कार्यों के लिए ''रिपीट आर्डर'' नहीं दिये जायें। इस सम्बन्ध में स्वीकृत कार्यों को यथा संभव टुकड़ों में न बांटा जाये। यदि ऐसा किया जाये तो उसका कारण उल्लिखित किया जाये।
2. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तर–1 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही में सम्बन्धित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस शासनादेश के द्वारा सम्बन्धित नियमों एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु टेण्डर प्रक्रिया एवं क्रय में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

भवदीय,

वी0 के0 वर्मा
सचिव, वित्त

संख्या – ए–1–1173(1)/दस–2001–10(55)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

आर0 के0 वर्मा
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग – 1

संख्या–312/9–आ–1–2001–

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

नगरों की अवस्थापना सुविधा के नियोजन एवं विकास कार्यों की समीक्षा हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 3668/9–आ–1–2000 दिनांक 28.8.2000 के द्वारा गठित समिति को सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार पुनर्गठित किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निर्देश देते हैं।

1. मुख्य सचिव अध्यक्ष
2. आवास एवं नगर विकास आयुक्त, एवं प्रमुख सचिव, आवास, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन उपाध्यक्ष
3. अध्यक्ष, जल निगम, सदस्य
4. प्रमुख सचिव, वित्त सदस्य
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग सदस्य
6. प्रमुख सचिव, नियोजन सदस्य
7. प्रमुख सचिव/सचिव, उर्जा सदस्य
8. प्रमुख सचिव, आवास सदस्य
9. प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण सदस्य
10. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन सदस्य
11. सचिव, नगर विकास सदस्य
12. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् सदस्य
13. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सदस्य
14. मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी नगर निगम सदस्य
15. विशेष सचिव, आवास सदस्य सचिव

अतः कार्यालय ज्ञाप संख्या 3668/9–आ–1–2000 दिनांक 28.8.2000 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 312/9–आ–1–2001, तद्दिनाँक 10, जुलाई

1. समिति के समस्त सदस्य।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/फैजाबाद/वाराणसी/गोरखपुर।
   मेरठ/आगरा/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/झांसी/चित्रकूट।
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. आवास बन्धु के गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव

संख्या–2495/9आ–6–2001–30 (विविध)/01

प्रेषक,

अरविन्द सोनकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विभाग परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 5 दिसम्बर, 2001

विषय : पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के संबंध में असम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महिला एंव बाल विकास अनुभाग–2 के पत्रांक भा0स0–21/60–1–2001–1/13(87)/2001 दिनांक 31.7.2001 की छाया प्रति संलग्न करते हुए मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपेक्षित/आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सोनकर
संयुक्त सचिव

संख्या–भा.स.–21/60–1–2001–1/13(87)/2001

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सविच,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनाँक– 31 जुलाई, 2001

विषय : पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के संबंध में विधवा आदि असम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग न किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के लिए ''विडो'' ''विधवा'' ''बेवा'' ''रांड'' शब्दों का प्रयोग विभिन्न अभिलेखों, जैसे राजस्व, शिक्षा, सेवायोजन व अन्य क्षेत्रों में किया जाना असम्मानजनक एवं दुभाग्यपूर्ण है तथा ये शब्द उनपर मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उक्त शब्दों के स्थान पर ''पत्नी स्वर्गीय ''जौजे मरहूम'' ''शर्मपत्नी स्वर्गीय'' एवं ''वाइफ आफ लेट'' आदि शब्दों का प्रयोग करने की संस्तुति की है।

2. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल निर्देश देते हैं कि शासकीय अभिलेखों एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ''विडो'' ''विधवा'' ''बेवा'' एवं ''रांड़'' शब्दों का प्रयोग न किया जाय और उनके स्थान पर उपयुक्त सम्मानजनक शब्द अथवा ''पत्नी स्वर्गीय'' ''जौजे मरहूम'', 'धर्मपत्नी स्वर्गीय'' एवं ''वाइफ आफ लेट'' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाय।

अनुरोध है कि कृपया सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तद्नुसार आवश्यक निर्देश दे दें।

3. मुझे यह भी कहना है कि यदि उक्त प्रक्रिया में ऐसी सांविधिक व्यवस्था में परिवर्तन/संशोधन किया जाना अपेक्षित हो तो विहित विधायी प्रक्रिया का अनुसरण करके अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

भोलानाथि तिवारी
मुख्य सचिव

संख्याःभा0स0–21(1)/60–1–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निबंधक, मा0 उच्चन्यायालय, इलाहाबाद।
2. सचिव, उ0प्र0 विधानसभा, लखनऊ।
3. सचिव, उ0प्र0 विधान परिषद, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद् उ0प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
6. सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, लखनऊ।
9. महानिदेशक, सार्वजनिक उधम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रीगण।

आज्ञा से,

जोहरा चटर्जी
सचिव